1. मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना क्या है ?

दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित की जा रही योजना – मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में बीमित समस्त परिवार को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह "मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना योजना के पात्र लाभार्थी कौन होंगे?

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित / पंजीकृत एवं पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं, के समस्त परिवार इस योजना के अन्तर्गत बीमित / पंजीकृत परिवार माने जाएंगे।

3. योजना में प्रीमियम राशि कितनी है?

इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान/प्रीमियम नहीं लिया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभ निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

4. आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे?

योजना के अंतर्गत बीमीत परिवार के सदस्य / सदस्यों की निम्न दुर्घटनाओं में मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में भुगतान किया जाएगा। अर्थात योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु/क्षति पर देय होंगे–

- सड़क/वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवम् वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति
- बीमीत के ऊँचाई से गिरने तथा बीमीत पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
- मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षति
- डुबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति
- रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण मृत्यु/क्षति
- बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति
- जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति
- मशीन (थ्रेसर कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लाईडर) पर/से कार्य करते समय होने वाली मृत्यु/क्षति।

5. योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे ?

योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। अर्थात् निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगेः–

- विभिन्न बीमारियों जैसेः केन्सर, टीबी, हृदयाघात (हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां।
- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
- बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य/ड्रग्स/एल्कोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति।
- चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति।
- नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति।
- युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति।
- गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति।
- बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण हुई क्षति।
- एविएशन में अन्वेज होने / बैलूनिंग/माउन्टिंग/डिस्माउन्टिंग के समय या एअरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/क्षति।
- विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रेक्चर इत्यादि होने की दशा में योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होंगे।
- जहरीले जन्तु के कारण मृत्यु अथवा क्षति ।
- योजना की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम भुगतान रूपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा।
- यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति कारित होती है तथा उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरूद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गये भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरूद्ध भुगतान किया जायेगा।
- इस योजना में भुगतान हेतु पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किया जाने वाला भुगतान किसी सदस्य / सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति कारित होने पर एस.डी.आर.एफ (State Disaster Response Fund), एन.डी.आर.एफ (National Disaster Response Fund) एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किये गये भुगतान को कम करते हुए दस लाख रूपये तक की सीमा के अद्यधीन होगा।

6. आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवदेन कहाँ करवाया जा सकता है ?

आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवदेन निम्न लिंक के माध्यम से करवाया जा सकता है :- https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/page/citizen/citizen-login-1

7. जिस परिवार / व्यक्ति ने पूर्व में निजी कंपनी से समुह दुर्घटना बीमा करा रखा है, क्या वह भी योजना का लाभ ले सकता है?

हॉ, वह भी योजना का ले सकता है। बशर्ते वह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अथवा आरजीएचएस का लाभार्थी हो एवं अन्य किसी भी राजकीय योजना से भुगतान राशि मिलने पर एमएडीबीवाई योजना का भुगतान काट कर देय होगा।

8. क्या यह योजना मात्र जनाधार मुखिया पर लागू है या समस्त जनाधार परिवार पर ?

कोई भी जनाधार परिवार जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थी है और जो आरजीएचएस योजना का लाभ ले रहे है। उसके समस्त परिजनो पर उक्त योजना लागू है।

9. यदि दुर्घटना राजस्थान से बाहर अन्य राज्य या अन्य देश में हुई है, तो क्या लाभार्थी परिवार दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है ?

हाँ, यदि वह परिवार आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना का लाभार्थी है या आरजीएचएस का लाभार्थी है तो योजना में वर्णित दुर्घटनाओं में आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करतें हुए ऑनलाईन दावा प्रपत्र प्रस्तुत करता है तो उसे योजना का लाभ नियमानुसार देय होगा।

10. मेरा दावा स्वीकार हुआ या अस्वीकार मुझे कैसे पता चलेगा?

लाभार्थी के जनाधार में पंजिकृत मोबाइल नंबर पर स्वीकृत / अस्वीकृत एवं आक्षेप के सम्बन्ध में संदेश भिजवाया जाता है। इसके अलावा पोर्टल पर सिटीजन लॉग इन करके आवेदन की स्थिति कि जांच की जा सकती है।

11. योजनान्तर्गत दावे का निस्तारण कितने समय में कर दिया जाता है ?

सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने कि स्थिति में 30 दिवस में दावा निस्तारण कर दिया जाता हैं।

12. योजनान्तर्गत दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?

दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 90 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी है।

13. यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण 90 दिवस में दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो क्या 90 दिवस पश्चात भी दावा प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या विलंब में शिथिलन का प्रावधान है ?

हॉ, प्रस्तुत दावे में विलंब के कारण की परिस्थिति युक्तियुक्त पाये जाने पर दुर्घटना/मृत्यु तिथी से से 01 वर्ष की अवधि तक के विलंब में शिथिलन का प्रावधान है।

14. यदि किसी लाभार्थी का दावा निरस्त हो गया है तो क्या उस दावे पर पुर्नविचार/अपील का प्रावधान है ?

हॉ, योजना पोर्टल पर आनलाईन माध्यम से 60 दिवस की अवधि तक प्रथम अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। प्रथम अपील निरस्त होने की स्थिति में प्रथम अपील निरस्त होने की दिनांक से 45 दिवस की अवधि तक द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है।